the gap is concerned efforts are being made to fill in the gap in other States as well. Sir, the figure given by my colleague also includes the *ad hoc* allotments given to the State for emergency purposes and the figures of that are:

January to March 1980	30,000 tonnes
April to June 1980	1,01,000 tonnes
July to Sept., 1980	1,29,000 tonnes
Oct. to Dec., 1980	42,700 tonnes
Jan. to March, 1980	97,000 tonnes

Sir, a few days back an *ad* hoc allotment of 35,000 tonnes was made to them. This only shows that we are making efforts as far as possible to cater to the emergency requirements of each State.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Sir, Andhra Pradesh is constructing many river valley projects and the cement supply is very essential. I would like to know what percentage of cement is being allotted to Andhra Pradesh as compared to different States of India.

SHRI CHARANJIT CHANANA: Sir, if the hon. Member wants I can lay on the Table the State-wise allocations and even help him work out the percentages later.

राष्ट्रीय मजूरी नीति

996. श्री बी० डी० सिंह :
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक राष्ट्रीय मजूरी नीति निर्धारित करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ; और

(ग) क्या इस बारे में राज्य सरकारों से कोई परामर्श किया गया है ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRIMATI RAM DULARI SINHA): (a) and (b). Yes, Sir. Government is presently engaged in preparing a Wage Policy Statement. It is proposed to finalise it in consultation with the representatives of employers and workers at the next national tripartite conference.

(c) The State Governments have been requested to communicate their views regarding various aspects of the national wage policy.

श्री बी० डी० सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक राष्ट्रीय वेतन नीति के निर्धारण में बहुत विलम्ब हो चुका है और आज उस की बहुत ही आवश्यकता है । यह जो इन्फ्लेशन से आज देश त्रस्त है, अगर एक निश्चित वेतन नीति निर्धारित हो जाय तो इस को दूर करने में सहायता मिलेगी। अभी पिछले दिसम्बर में कई सार्वजनिक संस्थाओं में एक बहुत लम्बी हड़ताल चली । कारण यह था कि जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं उस के विभिन्न संस्थानों में भी वेतन मान भिन्न-भिन्न है और जो पिछली हड़ताल हुई उस में मेल के बराबर वेतन मान की मांग वह कर रहे थे । तो यह सब समस्याएं हैं । इसलिए मैं माननीय तिवारी जी से यह जानना चाहूंगा कि मई 1978 में भूथलिंगम कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उस भूथलिंगम कमेटी की संस्तुतियों पर आप की क्या प्रतिक्रिया है ?

दूसरे आप यह बताने की कृपा करें कि आप ने गत 17 फरवरी को राज्य सभा में यह कहा था कि हम एक राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन बुलाने जा रहे हैं मई में,

लेकिन आप ने इस प्रश्न के उत्तर में कोई निश्चित समय नहीं बताया कि आप वह सम्मेलन कब बुलाने जा रहे हैं । उस के बारे में बताने की कृपा करेंगे कि वह कब बुला रहे हैं ?

SHRIMATI RAM DULARI SINHA: The date of the meeting is not yet decided. But it will be held shortly.

श्री बी० डी० सिंह मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया ।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : सवाल क्या पूछा गया था यह मैं जानना चाहती हूं ।

श्री बी० डी० सिंह : मैं ने निवेदन किया कि पिछली सरकार ने जो भूथ-लिंगम कमेटी बनायी थी जिसे यह काम दिया गया था कि वह वेतन, इनकम और मूल्यों पर अपनी संस्तुतियां दे, उस ने मई 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, तो उस की संस्तुतियों पर आप की सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : 1977 में एक स्टडी ग्रुप श्री एस भूथलिंगम के चेयरमैनशिप में बनी थी, उन्होंने कई सिफारिशें दी हैं जिस में पहला है—

A target of national minimum wage of Rs. 150 p.m. at 1978 prices should be achieved in about 7 years.

इन सब रेकमेंडेशंस के लिए मिनिस्टर्स की एक कमेटी कांस्टीच्यूट हुई थी, उन्होंने इन सारी रेकमेंडेशंस को रिव्यू किया लेकिन no final conclusion could be arrived at. इस के बाद लेबर मिनिस्टर्स कान्फरेंस जो 19-20 जुलाई को हुई थी उस में इस आइटम पर डिस्कशन हुआ था । उस के बाद एक जो लेबर मिनिस्टर्स की स्टैंडिंग कमेटी है उस की एक सब कमेटी बनाई गई, उस की बैठक 12 फरवरी को हुई, उस में विचार विमर्श हुआ है । इस के सम्बन्ध में सभी स्टेट्स के लेबर मिनिस्टर्स को लिखा गया है कि वह अपने व्यूज दें । उन के बाद हम उस पर विचार कर के ट्रिपार्टाइट कान्फरेंस में उस को रखेंगे । जो कुछ कान्क्लूजन ड्रा होगा वह तकरीबन लेबर कान्फरेंस में final shape देने के लिये विचारार्थ लाया जायेगा ।

श्री बी० डी० सिंह : अध्यक्ष महोदय, ओवर-टाइम पेमेंट राष्ट्र के सामने एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, जिसमें अक्सर यह होता है कि लोग समय पर काम नहीं करते हैं और पांच बजे के बाद या कार्यालय के समय के बाद बैठकर काम करते हैं । इस प्रकार करोड़ों रुपया ओवर टाइम में दिया जा रहा है । मैं यह चाहता हूं कि यह जो ओवर टाइम का पेमेंट हो रहा है, इसको बन्द किया जाए और अगर बहुत ही आवश्यकता है अधिक काम की तो नए लोगों की नियुक्तियां की जानी चाहिए, लेकिन ओवर टाइम को बन्द किया जाना चाहिए । मैं यह जानना चाहता हूं कि ओवर टाइम पेमेंट को समाप्त करने के लिए सरकार क्या प्रभावकारी कदम उठाने जा रही है ?

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए कि जो प्रश्न हमारे सामने है, वह है नेशनल वेज पालिसी के सम्बन्ध में । माननीय सदस्य ओवर टाइम के सम्बन्ध में बातें कर रहे हैं, उन्होंने जो कुछ कहा है, उसे मैंने ध्यान से सुन लिया है ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, इस मूल प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने हम लोगों को बताया है कि सरकार इस सम्बन्ध में काफी व्यस्त है और वह प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श कर के कोई नियम बनाएगी । इसके बाद बताया है कि हमने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे राष्ट्रीय वेतन नीति के सम्बन्ध में अपने फार्मूले हमारे पास भेजें । इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो विवरण सरकार की ओर से तैयार हो रहा है और सरकार इसकी तैयारी में काफी व्यस्त है, तो वह विवरण किन-किन मूलभत आधारों पर, वेतन नीति निर्धारण से सम्बन्धित, बनाया जा रहा है ? (ख) किन-किन राज्यों ने अभी तक वेतन नीति सम्बन्धित अपने विचार आपके सामने भेज दिए हैं और क्या वे केन्द्र सरकार के पास भेजे गए फार्मूले को अपने यहां लागू कर रहे हैं ? यदि हां—तो सरकार क्या उनको लागू करने के लिए स्वीकृति दे रही है ?

अध्यक्ष महोदय : लम्बा चौड़ा काम है ।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : अध्यक्ष जी, जिन बिन्दुओं पर स्टेट गवर्नमेंट्स को व्यज देने के लिए लिखा गया है और जो कुछ हम लोगों के विचाराधीन है, वह मिनिमम वेज के सम्बन्ध में है । इसको कितने और अधिक इस्टैबलिशमेंट्स और फैक्ट्रीज में वर्कर्स के लिए लागू करें । इस में मिनिमम वेज, फेयर वेज और लिविंग वेज की भी बात है —तमाम बिन्दुओं पर विचार हो रहा है । जहां तक माननीय सदस्य ने कहा है मजदूरों के प्रतिनिधियों से बातें हो रही है, तो मैंने पहले ही बताया है कि हम इस पर स्टेट गवर्नमेंट्स से व्यूज ले रहे हैं और उसके बाद ट्रिपार्टाइट कांफ्रेंस में लेबर और एम्लायर्स के व्यूज लेकर किसी कन्क्लूजन पर पहुंचेंगे और फिर लेबर मिनिस्टर्स काम्फेन्स में पहुंचेंगे ।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या वे कोई ऐसी पालिसी बना रहे हैं कि जो जितना श्रम करे, उनको उतना दाम दिया जाए ? क्यों कि प्रोडक्शन हमारा कम हो रहा है और उसमें हमारी मेहनत की बड़ी चोरी हो रही है । इसलिए जो जितना काम करे, उसको उतनी मजदूरी मिले, क्या इस तरह का कोई नियम बनाने का उनका इरादा है ?

अध्यक्ष महोदय : जो काम कम करे उसके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। जो दिया हुआ काम कम करे, उसका क्या होगा ?

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : जितना जो काम करे, उसे उतना मेहनताना मिले ।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : माननीय सदस्या ने जो सुझाव दिया है, वह सरकार के लिये विचारनीय है ।

श्री मूल चन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, आप कई बिन्दुओं पर विचार करते हैं । 1979 में राष्ट्रीय वेतन नीति की बात शुरू हुई और आज 1981 चल रहा है । आप यह बतलाइए आपकी राष्ट्रीय वेतन नीति कब तक तैयार हो जाएगी ? और आप कब तक इस निर्णय पर पहुंचेंगे ?

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, एक नेशनल कमीशन आन लेबर 1966 में एप्वाइंट हुआ था, उसमें बहुत से बिन्दुओं पर सुझाव दिए थे । उसमें यह भी कहा है कि the national minimum wage is neither feasible nor desirable. एक चक्रवर्ती कमेटी है, जो कि 1973 में एप्वाइंट हुई थी, उस में भी कई बिन्दुओं पर सुझाव दिए गए हैं । उसमें एक बिन्दु यह है कि National Wage structure must be evolved. भूतुलिगम कमेटी में 150 रु० प्रतिमाह मजदूरों को देने की बात है, जैसा मैंने पहले ही कहा है । सरकार इस सम्बन्ध में सतर्क है । भारत के एम्प्लायर्स और मजदूर यूनियन के प्रतिनिधियों से सरकार अपेक्षा करती है और स्टेट गवर्नमेंट्स तथा लेबर डिपार्टमेंट के सहयोग से सरकार इस समस्या को हल करने के लिए सतर्क है ।

SHRI XAVIER ARAKAL: I congratulate the hon. Minister for taking this bold step. I would like to know, who are the people who are going to examine the wage policy. Are they going to consider the previous reports, recommendations of various trade unions as well as the Committees? And when will this report be placed on the Table of the House.

SHRIMATI RAM DULARI SINHA: All the previous reports and recommendations will be kept under consideration. Further suggestions are also invited from the state governments and those will be also taken into consideration.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों को पिछड़े क्षेत्र घोषित करना

*988. **श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को इस आशय का एक प्रस्ताव भेजा है कि उसके आठ पर्वतीय जिलों को पिछड़े क्षेत्र घोषित किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने उसे मंजूर कर लिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : जी, हां । सरकार को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से सम्पूर्ण पहाड़ी क्षेत्रों सहित अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय निवेश सहायता स्कीम को लागू करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए थे ।

(ख) और (ग). पहाड़ी क्षेत्रों सहित सभी पिछड़े क्षेत्रों के विकास और रियायती वित्त, निवेश सहायता, आदि की केन्द्रीय स्कीमों के सम्पूर्ण प्रश्न की योजना आयोग के एक भूतपूर्व सदस्य की अध्यक्षता में पिछड़े क्षेत्रों के विकास से सम्बन्धित राष्ट्रीय समिति ने जांच की थी । इस समिति ने औद्योगिक प्रकीर्णन से संबन्धित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसकी राज्य सरकारों, सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों और वित्तीय संस्थाओं के परामर्श से जांच की जा रही है ।

Enhancement of Special Central Assistance for tribal sub-plan areas

*993. SHRI BHEEKHABHAI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state: